

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/सीकर/2014 पार्ट


जयपुर, दिनांक : 20.7.17

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.04.2017 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाडी, पं.स. पीपराली, जिला सीकर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजपूतों की ढाणी, जिला सीकर में समन्वित किया गया था। उक्त आदेशों के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाडी, पं.स. पीपराली, जिला सीकर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजपूतों की ढाणी, जिला सीकर में किए गए समन्वयन से एतद्वारा मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


आज्ञा से,


20/7/2017
(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि समन्वयन से पृथक किए गए विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था संचालन हेतु पूर्ववत संचालन की व्यवस्था करावे तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाडी, पं.स. पीपराली, जिला सीकर को निर्देश प्रदान करें कि इस विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर पुनः संचालन करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि नामांकन (विद्यार्थी संख्या) में बढ़ोतरी की जायेगी।
7. संभागीय आयुक्त,
8. जिला कलक्टर, सीकर।
9. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2,5,6) विभाग।
10. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग
11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
12. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, शिक्षा